



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2024-अग्रहायण 7, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ ए 3-47/2017/1/पांच/(31) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 9 उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-47/2017/1/पांच/(59) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (2), (3) और (4) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5कख	आवासीय आवास के अलावा किसी भी अचल संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं।	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2024

क्र. एफ ए 3-47-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच (31), दिनांक 28 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th November 2024

No. F A 3-47/2017/1/V (31) : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-47/2017/1/V(59) dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 5AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in column (2), (3), and (4) shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5AB	Service by way of renting of any immovable property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person."^

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.